



Neutral Citation No.- 2026:AHC:60592

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 2328 वर्ष 2026

जगमोहन यादव उर्फ जंगल

..आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: नवीन कुमार यादव

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए

न्यायालय संख्या 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार यादव, राज्य-विपक्षी के विद्वान ए.जी.ए. श्री ओ.पी. सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक जगमोहन यादव उर्फ जंगल की ओर से दायर किया गया है, जिसमें विचारण लंबित रहने के दौरान थाना सारनाथ, जिला वाराणसी में पंजीकृत मु.अ.सं. 388 वर्ष 2024, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उन तीन मामलों में जमानत पर है जो उसके खिलाफ गैंग चार्ट में दिखाए गए हैं, इसके अलावा, आवेदक चौथे मामले में भी जमानत पर है। आवेदक, जो 5.8.2024 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के मद्देनजर, विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।
5. आवेदक उन तीन मामलों में जमानत पर है जो उसके खिलाफ गैंग चार्ट में दिखाए गए हैं, इसके अलावा, आवेदक अन्य मामले में भी जमानत पर है। आवेदक 5.8.2024 से जेल में बंद है।
6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से प्रतिबिंबित साक्ष्यों और प्रकृति पर विचार करने के साथ-साथ अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपरोक्त मुकदमों में शामिल आवेदक-जगमोहन यादव उर्फ जंगल की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा :-
 - (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
 - (iii) आवेदक (i) मामला खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
 - (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब विचारण न्यायालय में गवाह उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए तय की गई तारीखों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा जो इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित होगा।

23 मार्च, 2026

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।